कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0 एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0 नि0 / दिनांकः–

सेवा में,

नगर आयुक्त
नगर निगम, आरा

महाशय,

नगर निगम, आरा के वर्ष 2013–14 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 610/14–15 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर निगम बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पत्र पंजी, 19 FEB 2015, संख्या 1679, बिहार, पटना

भवदीय,

ह0

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14479/2211 दिनांक– 11/02/15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, भोजपुर

11/02/15

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

# कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना
## निरीक्षण प्रतिवेदन सं.–610/14–15
## भाग– I
## प्रस्तावना

| | | |
|---|---|---|
| 1 | निरीक्षित कार्यालय का नाम | कार्यालय, नगर निगम आरा |
| 2 | निरीक्षण का वर्ष एवं कार्य क्षेत्र | अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक संबंधित लेखा अभिलेखों की जाँच |
| 3 | लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र | 01.04.2013 से 31.03.2014 तक |
| 4 | लेखापरीक्षा की अवधि | 22.04.2014 से 17.05.2014 तक |
| 5 | कार्यालय प्रधान का नाम | श्री उमेश कुमार, नगर आयुक्त, आरा |
| 6 | लेखापरीक्षा दल के सदस्यों के नाम | श्री विश्वपति सिंह, स. ले. प. अ.<br>श्री चितरंजन कुमार, स. ले. प. अ.<br>श्री चन्दन पासवान , ले. प.<br>श्री राकेश कुमार सिंह, ले.प. |
| 7 | निरीक्षण अधिकारी का नाम | श्री शम्भू प्रसाद गुप्ता |
| 8 | क्या विभागीय उच्चाधिकारी, वित्त विभाग द्वारा लेखा अभिलेखों का निरीक्षण किया गया था ? | नहीं |
| 9 | सामान्य अभ्युक्तियाँ | सामान्य रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया था। |
| 10 | क्या कार्यालय प्रधान के साथ आपत्तियों पर विचार–विमर्श किया गया ? | हाँ, दिनांक 17.05.2014 को लेखापरीक्षा के दौरान उठाई गई आपत्तियों पर चर्चा की गई। |

## दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

**यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, नगर निगम आरा द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। यदि इकाई द्वारा कोई सूचना गलत दी गई है तो उसका उत्तरदायित्व कार्यालय, महालेखाकार (ले.प.), बिहार, पटना का नहीं होगा।**

**कंडिका सं.–11 आय– व्यय विवरणी वर्ष 2013–14**

नगर निगम, आरा (बिहार) द्वारा उपलब्ध करायें गये विभिन्न मद के रोकड़बही/लेजर आदि के द्वारा जो आय–व्यय तैयार की गयी है उसकी संक्षिप्त विवरणी निम्न है:–

(i) मदवार सरकारी अनुदान विवरणी वर्ष 2013–14

1296

| क्र0 सं0 | अनुदान मद | प्रारंभिक शेष | प्राप्तियाँ | | | | व्यय | | | अन्तशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | अनुदान | ब्याज | अन्य | कुल | योजना | अन्य | कुल | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | बी.आर.जी.एफ | 15778029 | 21106033 | 785364 | —— | 37669426 | 8736844 | —— | 8736844 | 28932582 |
| 2 | पथ निर्माण | 20511505 | —— | —— | —— | 20511505 | 11159350 | —— | 11159350 | 9352155 |
| 3 | चतुर्थ राज्य वित आयोग | 18363547 | 28960431 | —— | —— | 47323978 | 9246297 | —— | 9246297 | 38077681 |
| 4 | 13 वॉ वित आयोग | 25167619 | 25724435 | 221353 | —— | 51113407 | 20968027 | 107 | 20968134 | 30145273 |
| 5 | स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना | 15009779 | —— | 631064 | —— | 15640843 | 2195625 | —— | 2195625 | 13445218 |
| 6 | प्रशासनिक भवन | 2078835 | —— | —— | —— | 2078835 | —— | —— | | 2078835 |
| 7 | चापाकल मद | 7156673 | —— | —— | —— | 7156673 | 4889809 | —— | 4889809 | 2266864 |
| 8 | बस पड़ाव निर्माण एवं जिर्णोद्धार | —— | 20000000 | —— | —— | 20000000 | —— | —— | —— | 20000000 |
| 9 | पेयजल आपूर्ति | —— | 99031000 | —— | —— | 99031000 | —— | —— | —— | 99031000 |
| | **कुलः—** | **104065987** | **194821899** | **1637781** | —— | **300525667** | **57195952** | **107** | **57196059** | **243329608** |

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– 1 पर)

(ii) लेखापाल रोकड़बही विवरणी वर्ष–2013–14

| क्र0सं0 | विवरणी | | राशि |
|---|---|---|---|
| 01 | प्रारंभिक शेष | | 40133411.00 |
| 02 | प्राप्ति | | |
| (i) | स्वयं के स्रोत | 32834596.00 | |
| (ii) | चतुर्थ राज्य वित आयोग वेतन एवं असंबद्ध अनुदान | 41135625.00 | |
| (iii) | नगर प्रबंधक का मानदेय | 240000.00 | |
| (iv) | पार्षद भत्ता | 273000.00 | |
| (v) | सामाजिक, आर्थिक जनगणना | 2074100.00 | |
| (vi) | पेशाकर | 3889380.00 | |
| (vii) | अस्वच्छ कार्य | 31000.00 | |
| 03 | वर्ष की प्राप्ति (i) से (vii) | 80477701.00 | 80477701.00 |
| 04 | कुल प्राप्ति (1+3) | | 120611112.00 |
| 05 | वर्ष का व्यय | | 73386835.00 |
| 06 | अंतशेष | | 47224277.00 |

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– 1 पर)

**कंडिका– 12 रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अंतशेष में भिन्नता (₹37.91 लाख)**

नगर निगम, आरा के विभिन्न रोकड़ पंजी एवं संबंधित बैंक पासबुक का दिनांक 31.03.2014 तक का अंतशेष का विशलेषण निम्न प्रकार है–

| क्र0 सं0 | रोकड़ बही का नाम | रोकड़ बही का अंतशेष 31.03.2014 | पासबुक का अंतशेष 31.03.2014 | अंतर राशि | बैक का नाम एवं खाता सं. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बी.आर.जी.एफ. | 2,89,32,582.00 | 3,26,61,727.00 | 37,29,145.00 | OBC Bank, Ara<br>A/c No-12162151007132 |
| 2 | तेरहवीं वित आयोग (RTGS) | 74,90,117.00 | 75,52,350.00 | 62,233.00 | PNB Station Road, Ara<br>A/c No-1494000100578841 |
| 3 | स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार मद् | 1,34,45,218.00 | 1,34,45,333.00 | 115.00 | Union Bank, Ara<br>A/c No-393202010005923<br>Axis Bank, Ara<br>A/c No-911010021348910 |
| | कुल | 4,98,67,917.00 | 5,36,59,410.00 | 37,91,493.00 | |

अतः रोकड़ बही एवं बैंक पासबुक के अंतर राशि रूपया 37,91,493.00 को समाधानित कर लेखापरीक्षा को दिखाया जाए। कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि समाधान विवरणी तैयार कर लेखापरीक्षा कार्यालय को भेजा जायगा।

**कंडिका– 13 बजट प्राक्कलन**

बिहार नगर अधिनियम 2007 की धारा 82 से 84 के अनुसार नगर आयुक्त नगर निकाय का बजट प्राक्कलन प्रत्येक साल के 15 फरवरी को तैयार करेगा एवं वह उसी साल के 15 मार्च तक सामान्य बैठक में प्रस्तुत किया जायगा जिसे सामन्य बैठक स्वीकार करेगी। बजट को स्वीकार करने के बाद बजट की प्रति राज्य सरकार को भेजा जाता है जिसे राज्य सरकार उसे उसी साल के 31 मार्च को नगर निकाय को वापस कर देगी।

आरा नगर निगम द्वारा 2013–14 बजट की प्रति दल को उपलब्ध करायी गयी। बजट की प्रति के अवलोकन से यह पता चला कि बजट के दर्शाए गए आय एवं व्यय की राशि रोकड़ बही में उस साल प्राप्त वास्तविक राशि से काफी भिन्न हैं। विवरणी इस प्रकार है–

(A) प्राप्ति

294

| क0सं0 | मद | बजट के अनुसार | वास्तविक | अन्तर |
|---|---|---|---|---|
| 1. | होल्ड़िग | 13,32,00,000 | 17146815 | 116053185 |
| 2. | विज्ञापन | 30,00,000 | 605000 | 2395000 |
| 3. | मोबाइल टावर | 10,000,000 | शुन्य | 10000000 |
| 4. | बन्दोबस्ती | 12,374,000 | 9049160 | 11440060 |
| 5. | नक्शा विद से प्राप्त राशि | 3,000,000 | 1897516 | 1102484 |
| 6. | दुकान से प्राप्त राशि | 40,00,000 | 3048381 | 951619 |
| 7. | टेड़ लाइेन्सेस | 1,30,00,000 | 106000 | 12894000 |

(B) व्यय

| क0सं0 | म्द | बजट के अनुसार | वास्तविक | अन्तर |
|---|---|---|---|---|
| 1. | सफाई कर्मचारी एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारी का कपड़ा खर्च | 80,000 | शुन्य | 80,000 |
| 2. | स्वास्थ एवं शिक्षा सेस की राशि का स्थानांतरण | 60,00,000 | शुन्य | 60,00,000 |
| 3. | आरा निगम के गाड़ी के शेड | 5,00,000 | शुन्य | 300,000 |
| 4. | खेल कुद एव संस्कृति | 700,000 | शुन्य | 700,000 |
| 5. | नए जनरेटर की खरीदारी | 1,000,000 | शुन्य | 1,000,000 |
| 6. | आरा निगम में बगीचा का निर्माण | 700,000 | शुन्य | 700,000 |
| 7. | आरा निगम मे रहने वालें लोगों को स्वास्थ वातावरण | 750,000 | शुन्य | 750,000 |
| 8. | आरा निगम में लाईब्रेरी का निर्माण | 750,000 | शुन्य | 750,000 |
| 9. | अतिथि गृह का निर्माण | 50,00,000 | शुन्य | 50,00,000 |
| 10. | आरा के चारों दिशाओं में चार गेट का निर्माण | 50,00,000 | शुन्य | 50,00,000 |
| 11. | प्रत्येक वार्ड में क्षेत्रिय कार्यालय को निर्माण | 2,25,00,000 | शुन्य | 2,25,00,000 |

इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि बनाया गया बजट एवं वास्तविक आय एवं व्यय में काफी अन्तर है अतः बनाया गया बजट वास्तविकता से परे है तथा 2013–14 का बजट वास्तविकता को ध्यान में रखे

बिना तैयार किया गया था। अतः कार्यपालक पदाधिकारी से यह अनुरोध है कि वास्तविक आय एवं व्यय को ध्यान में रखकर ही भविष्य में बजट बनाया जाय।

**कंडिका– 14 सामान्य अभियुक्ति**

नगर निगम, आरा में लेखाओं का संधारण संतोषप्रद नहीं था, उसमें सुधार की जरूरत है। बहुत से मुख्य लेखा जैसे– वार्षिक लेखा, बन्दोबस्ती पंजी, दुकानदारों की एकरारनामा की पंजी आदि का संधारण नहीं किया गया था। प्रतिवेदन में सन्निहित कंडिकाओं से स्पष्ट है कि नियमावली में दिये गये अनुदेशों का पालन नहीं किया जा रहा था जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की अनियमितताएँ हुई। अतः लेखाओं के संधारण अधिकारियों का ध्यान देना अपेक्षित है।

**भाग– II (क) – शुन्य**

b92

## भाग– II (ख)

**कंडिका– 1 रेम्की, गैर सरकारी संस्था को अधिक भुगतान (राशि ₹27.52 लाख)**

आरा नगर निगम में DFID-SPUR परियोजना के अर्न्तगत् ठोस अवशिष्टों का निष्पादन रेमकी इन्भरो इंन्जिनियरींग लिमिटेड द्वारा किया जा रहा था।

30/06/2011 को आरा नगर निगम एवं रेमकी के बीच किए गए एकरारनामा के आधार पर रेमकी ने 07 वार्डो में सफाई का काम 14/10/2011 से शुरु किया।

पुनः कार्यालय पत्रांक सं0– 2877/09.05.12 द्वारा रेमकी को और 11 वार्डो में सफाई का कार्य करने का आदेश दिया गया।

एकरारनामा के कंडिका 3.1.2 के अनुसार ठोस अवशिष्टों को आरा नगर निगम के परिक्षेत्र से उठाकर 9 कि0मी0 दूर बहिआरा हाता में डम्प करना था, परन्तु पत्र सं0– 4546/26.11.12 से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ठोस अवशिष्टों को बहिआरा हाता में डम्प न करके कहीं अन्यत्र जगह पर गिराया जाता था। कार्यालय द्वारा यह बताया गया कि कूड़ा आरा पटना मुख्य मार्ग के दोनो तरफ गिरा दिया जाता था। पत्र सं0– 4429/6.11.12 के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आरा नगर निगम द्वारा कुड़ा डम्प करने के लिए ट्रेचींग ग्राउन्ड दिया गया था ताकि कुड़ा आरा पटना मुख्य मार्ग के दोनो तरफ डम्प न हो।

एकरारनामा के अनुसार कुड़ा को पहले तौलना था फिर डम्प करना था क्योकि राषि का भुगतान तौल के आधार पर ही करना था, पत्र सं0 3222/18.06.12 से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कुड़े को तौलने के लिए weight Machine बहिआरा हाता में ही लगाना था।

कार्यालय द्वारा यह बताया गया कि तौल मशीन बहिआरा हाता में न लगाकर कायम नगर में भाड़े पर लिया गया था, जो बहिआरा हाता एवं ट्रेचिंग ग्राउन्ड से काफी दूर था।

SPUR द्वारा City Development Plan (CDP) तैयार किया गया था। इस Plan के पेज सं0 5 के कंडिका सं0 डी में यह स्पष्ट लिखा है कि आरा नगर निगम में प्रति महीने 102 टन एवं प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 400 ग्राम ठोस अवशिष्ट का उत्पादन किया जाता है, जबकि केन्दिय प्रदुषण नियत्रंण बोर्ड के आधार पर पटना नगर निगम में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 370 ग्राम ठोस अवशिष्ट का उत्पादन किया जाता है। ठोस अवशिष्ट का उत्पादन प्रति व्यक्ति आय एवं रहन सहन पर निर्भर करता है। अगर CDP को ही आधार माना जाए तो आरा नगर निगम प्रति महीना सभी 45 वार्डो को मिलाकर 102*30=3060 टन ही ठोस अवशिष्ट का उत्पादन करेगा। जबकि रेमकी द्वारा समर्पित विपत्र से यह स्पष्ट पता चलता है कि

किसी भी महीना में 3060 टन का विपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस हिसाब से आरा नगर निगम द्वारा 01.04.12 से 30.06.13 की अवधि में ₹2752142.368 राशि का अधिक भुगतान किया गया

उपरोक्त परिस्थिति से यह स्पष्ट पता चलता है कि:–

(i) रेमकी द्वारा designated Place बहिआरा हाता में कुड़ा न डम्प कर, आरा पटना मुख्य मार्ग या ट्रेचिंग ग्राउन्ड में डम्प किया जाता था जबकि राशि का भुगतान एकरारनामा के अनुसार हमेशा बहिआरा हाता की दूरी के हिसाब से ही किया जाता था।

(ii) रेमकी द्वारा ठोस अवशिष्टों को कभी भी तौला नहीं जाता था, क्योंकि कुड़ा पहले तौलने के लिए कयानी ले जाना पड़ता, उसके बाद फिर बहिआरा हाता या ट्रेचिंग ग्राउन्ड में लाकर गिराया जाता। तीनों अलग– अलग दिशा में था, अतः एक गाड़ी को एक फेरा में काफी दूरी तय करना पड़ता जो कि व्यावहारिक रुप से संभव प्रतीत नहीं होता है।

(iii) पत्र सं0 899/04.04.12 से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आरा नगर निगम को DFID-SPUR परियोजना के अन्तर्गत ठोस अवशिष्टों का निष्पादन रेमकी द्वारा किया जाता था एवं SPUR द्वारा ही बनाए गए CDP में यह स्पष्ट लिखा है कि आरा नगर निगम प्रति महीने 102 टन कुड़ा का उत्पादन करेगा, यह ऑकड़ा 2012 में 2030 तक के DEVELOPMENT को ध्यान में रखकर बनायी गयी थी जबकि 102 टन का आकड़ा सभी 45 वार्डो का है जबकि रेमकी द्वारा सिर्फ 18 वार्ड में ही कार्य किया जाता है इस तरीके से देखा जाए तो अधिक भुगतान के आकड़े की राशि और भी अधिक बढ़ सकती है।

(iv) पत्र सं0 SPUR PMU/70/FA/2013/946 DDT 07.01.13 में यह स्पष्ट लिखा है कि ठोस अवशिष्टों का सही प्रबंधन, उठाव नगर निगम परिक्षेत्र में रहनेवाले सभी नागरिकों के स्वच्छ पर्यावरण एवं उनके स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव डालता है, परन्तु उपर वर्णित तथ्यों से यह पता चलता है कि ठोस अवशिष्टों को सड़क के दोनों ओर अन्यत्र फेंकने से इसके लक्ष्य की प्राप्ति ठीक से नहीं हो सकी।

(v) बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 223 के अनुसार नगरपालिका परिक्षेत्र मे उत्पन्न या नगरपालिका परिक्षेत्र में उठाए गए सभी ठोस अवशिष्ट नगरपालिका की सम्पति होगी, परन्तु ठोस अवशिष्टों को अन्यत्र फेकने से सही संधारण की प्रकिया भी सवालो के घेरे में आती हैं। इस आधार पर रेमकी द्वारा प्रति महीने अधिक ठोस अवशिष्टों का उठाव विपत्र में दिखाया जाना एवं उसका भुगतान भी उसी आधार पर किया जाना एक गंभीर बात है।

अतः यह पुरा प्रकरण संदिग्ध प्रतीत होता है एवं उच्च स्तरीय जॉच आवश्यक प्रतीत होती है। अधिक भुगतेय राशि ₹2752142.368 संबधित व्यक्तियों से वसुलनीय है।

289

**कंडिका– 2 गारवेज साईकिल रिक्शा फाईवर कन्टेनर (400 लीटर) की खरीदारी पर निष्फल व्यय राशि ₹14.56 लाख**

अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की गयी संचिका सं0–5/कोष/2012–II गारवेज साईकिल, रिक्शा फाईवर कन्टेनर (400 ली0) की खरीद से संबंधित संचिका के अवलोकन के पश्चात निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए।

(i) 23.09.2013 को नगर आयुक्त की कर्मचारियों से वार्ता के पश्चात नगर आयुक्त द्वारा यह निर्णय लिया गया कि घर– घर जाकर गारवेज कलेक्शन के लिए फाईवर कन्टेनर (400 ली0) के क्रय की आवश्यकता है।

(ii) तत्पश्चात आरा नगर निगम द्वारा आपूर्तिकर्त्ता प्रभुदयाल ओमप्रकाश दिल्ली से मोबाईल से सम्पर्क साधा गया एवं 24.09.2013 को नगर आयुक्त से आपूर्तिकर्ता का मुलाकात हुई। जिसके बाद आपूर्तिकर्त्ता ने जमालपुर नगर परिषद् द्वारा निर्गत किये गये आपूर्ति आदेश नगर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया एवं प्रति कन्टेनर ₹35,175.00 रूपया आपूर्ति करने पर लिखित सहमति व्यक्त की।

(iii) पुनः 25.10.2013 की तिथि में आहुत सशक्त स्थायी समिति की बैठक में प्रस्ताव सं0–1 में उपरोक्त सामान 50 पीस (प्रति पीस– ₹35,175.00) क्रय करने का निर्णय लिया गया।

(iv) आरा नगर निगम एवं आपूर्तिकर्त्ता के बीच एकरारनामा 28.10.2013 की तिथि में हुआ, जिसके अनुसार सामान की आपूर्ति दीपावली एवं छठ पर्व को ही ध्यान में रखते हुए आदेश प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर करना तय हुआ। आपूर्तिकर्त्ता को कार्यालय आदेश सं0– 2822 दिनांक 28.10.2013 द्वारा आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया।

(v) कार्यालय ज्ञापांक सं0–07 दिनांक 04.01.2014 द्वारा आरा नगर निगम ने आपूर्तिकर्त्ता को पत्र लिखकर बताया कि चूकिं सामान आदेश प्राप्ति के 15 दिन के बजाए 40 दिन बाद प्राप्त हुआ एवं सामान की गुणवता नमूने के रूप में दिए गए समान के अनुरूप नही है अतः एकरारनामा को रद्द किया जाता है। आपूर्तिकर्त्ता अपना सामान वापस ले जाए।

(vi) पुनः पत्रांक सं0–115/22.01.2014 द्वारा आरा नगर निगम से यह आदेश नगर प्रबंधक एवं मुख्य सफाई निरीक्षक को निर्गत किया कि सामान की गुणवता की जाँच कर रिर्पोट दें। जाँच प्रतिवेदन में दोनों ने बताया कि कुल 04 सामान/कन्टेनर की स्थिति अच्छी नही है एवं तकनीकि दक्षता नहीं होने के कारण यह बताना मुश्किल है कि कन्टेनर डुप्लीकेट है या नहीं।

(vii) आरा नगर निगम द्वारा आपूर्तिकर्त्ता को Vr.No-299/13-14 चेक सं0– 632408 दिनांक 17.02.2014 द्वारा राशि ₹1456244.00 प्रदान की गयी।

(viii) पहला एवं दूसरा Consignment (17Pc+17Pc) 28-11-2013 को दिल्ली से चलकर 02.12.2013 को आरा नगर निगम पहुँचा, जबकि तीसरा Consignment (16Pc) 03-12-2013 को दिल्ली से चलकर 05.12.2013 को आरा नगर निगम पहुँचा। परन्तु कन्टेनर को दो महीने बाद 08.02.2014 की तिथि में स्टॉक पंजी पेज नं0– 114 में हस्तगत किया गया।

(ix) स्टॉक पंजी P/114 के अवलोकन में यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सारा सामान अंकेक्षण की समाप्ति की तिथि तक किसी को वितरीत नहीं किया गया।

**अंकेक्षण टिप्पणी**

(i) Bihar Financial Rule की धारा 131(I) के अनुसार 25 लाख तक के सामान की खरीदारी के लिए Limited Tender Enquiry प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। परन्तु संचिका के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि निविदा का प्रकाशन नहीं किया गया एवं आपूर्तिकर्त्ता से खुद सम्पर्क साधकर सामान खरीदने का निर्णय लिया गया। जिसके कारण प्रतिस्पर्धा का अभाव पाया गया।

(ii) आपूर्तिकर्त्ता ने जमालपुर नगर परिषद् द्वारा निर्गत पत्र सं0–99/मो0/08.03.2013 को आधार बनाते हुए रूपया 35175.00 पर सहमति दी, परन्तु उपरोक्त पत्र के सत्यता की जाँच नगर निगम द्वारा नहीं की गई कि पत्र वास्तव में नगर परिषद् द्वारा निर्गत किया गया है या नही। अन्तिम निर्णय लेने के पहले नगर निगम द्वारा स्वयं जमालपुर नगर परिषद् से सम्पर्क करना चाहिए था कि बिहार सरकार वित्त विभाग के संकल्प सं0– 4/05/2009/खंड–8672/वि0/2/पटना दिनांक 11.09.2009 का पालन किया गया है या नहीं जिसके अनुसार सभी नगर निकायों में विभिन्न सामाग्रियों एवं सेवाओं की आपूर्त्ति की दर एवं गुणवत्ता में एकरुपता लाने के लिए बिहार शहरी विकास अभिकरण (BUDA) को बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2005 के नियम 129 के अतंगर्त राज्य के विभिन्न नगर निकायों के लिए उपयोग में आने वाली सामग्रयों एवं सेवाओं के दर निर्धारण एवं अधिप्राप्ति हेतु राज्य क्रय संगठन नामित किया गया है को अपनाकर ही सामान की खरीदारी की गयी थी अथवा नहीं।

(iii) सामान की खरीददारी इसलिए की गई कि दीपावली एवं छठ, 2013 के अवसर पर घर– घर जाकर कुड़ा उठाव की जा सके एवं आम नागरिकों को इसका फायदा पहुँच सकें। परन्तु सामान की पहली खेप 02.12.2013 को एवं दूसरी 05.02.2013 को आरा नगर निगम पहुँची, जबकि 2013 में दीपावली 03.11.2013 एवं छठ 08.11.2013 को थी।

(iv) पत्र सं0–07/04.01.2014 के अनुसार नगर आयुक्त द्वारा एकरारनामा यह कारण बताते हुए रद्द किया गया था कि, सामान नमूना के अनुरूप नही है एवं काफी दिन बाद आपूर्ति की गयी, जिससे उदेश्य विफल हो जाता है परन्तु नगर आयुक्त द्वारा राशि निर्गत करने का आदेश भी दिया जबकि नगर

प्रबंधक एवं मुख्य सफाई निरीक्षक द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में पाया गया था कि सामान में त्रुटियाँ थी एवं सामान अनुरूप नहीं था।

(v) सभी प्राप्त सामानों को अंकेक्षण की समाप्ति की तिथि तक किसी को निर्गत/बाँटा नहीं गया था जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सामान की आवश्यकता थी ही नही, परन्तु इसे खरीदा गया।

(vi) सामान को खरीदने का निर्णय सशक्त स्थायी समिति में लिया गया, निगम बोर्ड से इस निर्णय को पास नही कराया गया। बिना बोर्ड में पास कराए सामान की खरीदारी अनियमित है।

(vii) नगर आयुक्त द्वारा सामान की आवश्यकता किस आधार पर तय की गयी, संचिका से अस्पष्ट है। किसी भी सामान की खरीदारी के पहले उसकी आवश्यकता निर्धारित की जानी चाहिए थी, जिसका संचिका में सर्वथा अभाव पाया गया।

(viii) उपरोक्त परिस्थिति से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर सामान की खरीददारी करने का निर्णय लिया गया, उस उद्देश्य की प्राप्त करने मे नगर निगम कहीं न कहीं विफल रहा एवं आपूर्तिकर्ता को undue favour किया गया।

(ix) सामान/कन्टेनर की वारंटी अवधि 06 माह थी, चूकिं सामान नगर निगम द्वारा 02.12.2013 एवं 05.12.2013 को प्राप्त किया गया, इस अनुसार 01.06.2014 एवं 04.06.2014 के बाद सामान में किसी भी प्रकार की कमियाँ को स्वीकार करने लिए आपूर्तिकर्त्ता कानुनी रूप से बाध्य नहीं होगा, इस परिस्थिति में सामान को Unuse रखकर किसी न किसी प्रकार से आपूर्तिकर्त्ता को Undue Favour किया गया।

कार्यालय द्वारा यह जबाब दिया गया कि लोकसभा चुनाव के कारण सामानों को वितरित नहीं किया गया था। जवाब मान्य नहीं है क्योकि सामानो को अपने कार्यालय कर्मी के बीच वितरित किया जाना था न कि आम जनता के बीच एवं सामान की आपूर्ति दिसम्बर 2013 महीने में हो चुकी थी एवं लोकसभा चुनाव 2014 में मई–जुन महीने में हुआ था अतः लोक सभा के चुनाव एवं चुनाव के आचार संहिता से इसका कोई संबंध नहीं है। उत्तर में कहा गया कि वितरण की कार्रवाई की जा रही है और अन्य के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया।

उपरोक्त परिस्थिति से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आरा नगर निगम को सामान की आवश्यकता थी ही नहीं क्योकि अगर आवश्यकता होती तो निश्चित रुप से सामानों को छः महीने के अन्दर वितरित कर दिया जाता क्योंकि जितनी तत्परता सामान को खरीदने में दिखायी गयी उतनी तत्परता उसको वितरित करने में नहीं दिखायी गई, इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर सामानों को खरीदने में किसी भी सरकारी प्रकिया का पालन नहीं किया गया उस उद्देश्य की अंततः प्राप्ति नहीं हो सकी अतः पुरा व्यय राशि ₹1456244/– निष्फल प्रतीत होती है।

**कंडिका– 3 अनियमित कार्य पर भुगतान ₹8,43,847.00**

योजना ––ग्रुप संख्या–10

टेंडर संख्या ––8–अभि0– / 2012–13

योजना का नाम ––वार्ड सं0–11 के अन्तर्गत कृष्णा पंडित के घर से पुरन पंडित के घर तक पी.सी.सी. पथ एवं नाली निर्माण।

प्राक्कलित राशि ––₹97,500.00

पुनरीक्षित योजना का नाम––(1) कृष्णा पंडित के घर से पुरन पंडित के घर तक पी.सी.सी. पथ एवं नाली निर्माण– ₹1,44,000.00

(2) धर्मेन्द्र कुमार के घर से सिद्धनाथ सिंह, सुरेन्द्र प्रसाद के घर तक पी.सी.सी. पथ एवं नाली निर्माण– ₹ 4,53,400.00

(3) रामेश्वर प्रसाद के घर से राजेन्द्र प्रसाद यादव के घर तक पी.सी.सी. पथ एवं नाली निर्माण– ₹3,02,800.

(4) गणेश प्रसाद के मकान से सुकेश शर्मा के घर तक पी.सी.सी. पथ निर्माण एवं नाली निर्माण– ₹ 3,83,600.

पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि– ₹12,86,100.00

तकनीकी स्वीकृति – मुख्य नगर अभियंता,

प्रशासनिक स्वीकृति – नगर आयुक्त

कार्यादेश की तिथि – 20.09.2013

अभिकर्त्ता का नाम – श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह

कार्य की भौतिक स्थिति –अर्पूण

मापी–पुस्त के अनुसार भुगतान– ₹8,43,847.00

**अंकेक्षण टिप्पणी**

(क) उपरोक्त वर्णित योजना की संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि मूल योजना में अन्य तीन कार्य को जोड़कर योजना की प्राक्कलित राशि को पुनरीक्षित कर प्राक्कलित राशि में 1219 प्रतिशत की

1286

बढ़ोतरी करं प्राक्कलित राशि ₹97500.00 को बढ़ाकर ₹1286100.00 की गयी। किसी योजना में 10 प्रतिशत से अधिक का बदलाव अनियमित है, अतः अंकेक्षण को यह स्पष्ट किया जाय कि किस नियम के तहत 1219 प्रतिशत का पुनरीक्षण किया गया एवं राशि का भुगतान किंया गया।

(ख) निविदा आमंत्रण समाचार पत्र के माध्यम से दिनांक 07.02.2013 को किया गया जिसमें ग्रुप सं0–10 योजना की राशि ₹97,500.00 हेतु निविदा आमंत्रित की गयी मगर इसी निविदा के आलोक में पुनरीक्षित योजना की राशि ₹12,86,100.00 का एकरारनामा संवेदक के साथ किया गया इससे स्पष्ट पता चलता है कि बिना निविदा आमंत्रण के ही संवेदक से एकरारनामा किया गया। जिसके कारण संवेदक के चयन में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अभाव पाया गया एवं आरा नगर निगम द्वारा मनमाने तरीके से ही योजना का कार्यान्वयन किया गया।

(ग) संचिका एवं मापी पुस्त के जाँच के क्रम में पाया गया कि पुनरीक्षित योजना में कुल चार कार्य लिये गये मगर आश्चर्य की बात यह है कि निविदा आमंत्रण सं0–8/अभि0–2012–13 का मूल कार्य यानि ''कृष्णा पंडित के घर से पुरन पंडित के घर तक पी.सी.सी. पथ एवं नाली निर्माण'' अंकेक्षण की समाप्ति तक नहीं पुर्ण किया गया और टिप्पणी में लिखा गया कि यह कार्य अन्य विभाग के द्वारा करा दिया गया है। यह टिप्पणी संचिका में दिनांक 28.03.2014 यानि एकरारनामा के 6 माह के बाद अंकित की गई, जबकि कार्य पूर्ण करने की अवधि दो माह ही निर्धारित थी। जिस योजना के आधार पर अन्य तीन कार्य लिया गया उसी मूल योजना को नही कराया जाना पुरे कार्य को संदिग्ध बनाता है।

(घ) अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र/पाँच वर्षीय टर्म डिपोजिट/के0भी0पी0 के रूप में जमा करना था। संवेदक द्वारा नगर आयुक्त के नाम से प्रतिज्ञित के0भी0पी0 की तिथि 07.02.2013 के पहले की तिथि के थे जबकि निविदा आमंत्रण सूचना की तिथि दिनांक 07.02.2013 थी। इस आधार पर निविदा को अस्वीकार क्यों नही की गयी।

(ड़) निविदा आमंत्रण सूचना 08/अभि0–2012–13 के विवरण सं0–16 में स्पष्ट निर्देश था कि संवेदक को कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व ही कार्य स्थल पर साईन बोर्ड पर योजना का नाम, कार्य एजेन्सी का नाम, संवेदक का नाम, प्राक्कलित राशि एवं कार्य प्रारंभ की एवं पूर्णता की तिथि अंकित करना अनिवार्य होगा। साथ ही तीन स्तर का फोटोग्राफ प्रारम्भ, मध्य एवं योजना पूर्ण होने का समर्पित करना था, परन्तु संचिका के जाँच में प्रारंभ एवं मध्य का कोई भी फोटोग्राफ नहीं पाया गया।

(च) संचिका के जाँच से यह प्रतीत होता है कि इस योजना हेतु श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह के अलावे अन्य संवेदक भाग नहीं लिया है। इसे क्यों नही एकल संविदा माना जाय।

(छ) धर्मेन्द्र कुमार सिंह का निबंधन प्रमाण पत्र दिनांक 10.05.2008 से 09.05.2013 तक ही मान्य था तो इनसे किस आधार पर दिनांक 20.09.2013 को एकरारनामा किया गया।

कार्यालय द्वारा जवाब में कहा गया कि कार्य की महत्ता एवं उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी थी भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं होगी, जबाब मान्य नहीं है क्योंकि कार्य की महत्ता

में नियम को दरकिनार नहीं किया जा सकता था एवं पुनरीक्षित कार्य आपातकालीन प्रकृति का कार्य नहीं था।

उपर वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि कार्यो पर किया गया व्यय अनियमित है एवं उच्चस्तरीय जॉच आवश्यक प्रतीत होती है।

अतः किया गया व्यय राशि ₹843847 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

**कंडिका– 4 योजना का नाम– आरा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत अनुसूचित जाति टोले में इंडिया मार्का–II चापाकल का कार्य**

| | | |
|---|---|---|
| प्राक्कलित राशि | –– | ₹46,50,000.00 |
| संवेदक | –– | मेंसर्स वर्किंग प्वाईंट |
| चापाकल की सं0 | –– | 100 (₹46,500.00 / प्रति चापाकल) |
| कार्य प्रारंभ करने की तिथि | – | अंकित नहीं |
| कार्य समाप्ति की नियत तिथि | –– | 06 माह |
| कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि | –– | 27.03.2014 |
| तकनीकी स्वीकृति | –– | 08.04.2013–मुख्य नगर अभियंता |
| प्रशासनिक स्वीकृति | –– | प्राप्त नहीं |

संबंधित संचिका के अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए–

(1) मुख्य नगर अभियंता के आदेशानुसार ही कनीय अभियंता द्वारा 110 चापाकल का प्राक्कलन जिसकी प्राक्कलित राशि ₹51,15,000.00 थी तैयार की गयी।

(2) मुख्य नगर अभियंता द्वारा 08.04.2013 को तकनीकि स्वीकृति प्रदान की गयी एवं नगर आयुक्त द्वारा 08.04.2013 को ही प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

(3) तत्पश्चात ज्ञापांक सं0– 8 / अभि0 / 08.04.2013 द्वारा निविदा आमंत्रित की गयी, जिसे 18.04.2013 की तिथि में अल्पकालिन निविदा सं0– 2 / अभि0 / 2012–13 द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गयी। निविदा आमंत्रण के आलोक में दो निविदा प्राप्त हुए।

(क) मेसर्स गणपति इन्टरप्राईजेज।

(ख) मेंसर्स वर्किंग प्वाईंट।

(4) निविदा के अनुसार निविदा प्राप्त करने की तिथि–26.04.2013. निविदा खोलेने की तिथि–26.04.2013 एवं परिमाण विपत्र की तिथि– 25.04.2013 थी।

(5) इन दोनो निविदादाताओं में से मेसर्स गणपति इन्टरप्राईजेज को निरस्त करते हुए मेसर्स वर्किंग प्वाईंट के निविदा को प्राक्कलित दर पर स्वीकार किया गया।

(6) योजना की प्राक्कलित राशि ₹50,00,000.00 से अधिक होने के कारण मुख्य नगर अभियंता द्वारा योजना को सशक्त स्थायी समिति से पारित कराने के लिए अनुशंसित किया गया परन्तु योजना समिति द्वारा पारित नही किया गया।

(7) मुख्य नगर अभियंता द्वारा नगर आयुक्त को यह बताया गया कि नगर आयुक्त ₹50,00,000.00 से नीचे की राशि की योजना को स्वीकृति देने में स्वयं सक्षम है इसके लिए किसी समिति के सहमति की आवश्यकता नही है अतः चापाकल की संख्या को मुख्य नगर अभियंता द्वारा 110 से घटाकर 100 कर दिया गया, फलस्वरूप राशि– ₹51,15,000.00 से घटकर ₹46,50,000.00 हो गयी। तत्पश्चात नगर आयुक्त की सहमति के लिए संचिका मुख्य नगर अभियंता द्वारा आगे बढ़ाई गयी परन्तु नगर आयुक्त द्वारा इस पर सहमति नहीं दिया गया।

(8) पत्रांक सं0–25/अभि0/दिनांक 29.04.2013 द्वारा मेसर्स वर्किंग प्वाईंट, पूर्वी नवादा आरा को कार्यादेश निर्गत किया गया।

(9) मेसर्स वर्किंग प्वाईंट एवं मुख्य नगर अभियंता के बीच 03.05.2013 को एकरारनामा किया गया।

(10) मेसर्स वर्किंग प्वाईंट द्वारा ₹2,33,000.00 अग्रधन के रूप में नगर आयुक्त के नाम जमा की गयी।

(11) पत्र सं0–28/अभि0/दिनांक 03.05.2013 द्वारा मुख्य नगर अभियंता ने मेसर्स वर्किंग प्वाईंट को यह आदेश निर्गत किया गया कि स्थान का चयन संबंधित वार्ड पार्षद के परामर्श से करें एवं कार्यदेश की तिथि कार्य प्रारंभ की तिथि मानी जायेगी एवं कार्य संबंधित कनीय अभियंता की देख– रेख में सम्पादित किया जायेगा।

(12) विभिन्न अभिश्रवों द्वारा राशि का भुगतान किया। विवरणी इस प्रकार है–

| क्र. सं. | चापाकलों की सं0 | चेक सं0 एवं दिनांक | कुल लागत | S.D. 5% | ST 5% | IT 2.26% | वास्तविक राशि | अभिश्रव सं0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 632044 / 18.6.13 | 346288.00 | 17315.00 | 12582.00 | 6491.00 | 309900.00 | 60–66 / 13–14 |
| 2 | 07 | 632057 / 6.7.13 | 313321.00 | 15666.00 | 15666.00 | 7081.00 | 274908.00 | 93 / 13–14 |
| 3 | 17 | 632089 / 13.8.13 | 786040.00 | 39302.00 | 39302.00 | 17765.00 | 689133.00 | 141 / 13–14 |
| 4 | 10 | 632096 / 26.8.13 | 448548.00 | 22428.00 | 16528.00 | 7472.00 | 402120.00 | 148–153 / 13–14 |
| 5 | 20 | 638945 / 31.10. 13 | 842042.00 | 42102.00 | 30634.00 | 19030.00 | 750014.00 | 216 / 13–14 |
| 6 | 11 | 638954 / 18.1.13 | 653607.00 | 32681.00 | 24242.00 | 14771.00 | 581913.00 | 228–230 / 13–14 |
| 7 | 23 | 632416 / 26.3.14 | 958965.00 | 54217.00 | 40663.00 | 24506.00 | 839462.00 | 330 / 13–14 |
| **कुल** | **96** | | **43,48,811.00** | **223711.00** | **179617.00** | **97116.00** | **3847450.00** | |

(13) वर्किंग प्वाईंट द्वारा नियत समय पर काम नही समाप्त करने पर कटौती नही करने का अनुरोध किया गया, जिसे मुख्य नगर अभियंता द्वारा स्वीकार किया गया, परन्तु न तो नगर आयुक्त की सहमति ली गई और न ही समय बढ़ोतरी की सहमति (Approval) दिया गया।

**अंकेक्षण आपत्ति**

(1) बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–75 में यह कहा गया है कि नगर निगमों में 10 लाख से अधिक एवं 25 लाख से कम की संविदा प्राधिकृत स्थायी समिति की स्वीकृति के बिना नहीं की जा सकेगी। जबकि चापाकल कार्य की निविदा / संविदा ₹46,50,000.00 होने के बावजूद मुख्य नगर अभियंता ने किस आदेश को आधार बनाते हुए नगर आयुक्त को लिखा कि निगम आयुक्त स्वयं बिना किसी समिति एवं बोर्ड की सहमति से नगर निगमों में राशि के उपयोग के मामले में ₹50 लाख तक की संविदा की स्वीकृति देने में स्वयं सक्षम है।

(2) सशक्त स्थायी समिति एवं निगम बोर्ड की सहमति के विना ही 110 चापाकल लगाने की योजना को मुख्य नगर अभियंता के आदेशानुसार तैयार किया गया था एवं निविदा 18.04.2013 की तिथि में स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित हुई एवं सशक्त स्थायी समिति में 27.04.2013 को Place किया गया, (19 दिन बाद) अर्थात सशक्त स्थायी समिति में बाद में रखा गया जबकि चापाकल लगाने का निर्णय मुख्य नगर अभियंता द्वारा पहले 18.04.13 ही ले लिया गया था।

(3) नगर आयुक्त की प्रशासनिक स्वीकृति के बिना 110 चापाकल के योजना का कार्यान्वयन पूरी तरह से गलत एवं अनियमित है।

(4) निविदा के आमंत्रण के बाद दो निविदादाता में एक को यह कहकर Invalid किया गया कि उसमे आवश्यक अग्रधन की राशि संलग्न नहीं की थी तथा दूसरे बचे निविदादाता का चयन किया गया। इस परिस्थिति में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का स्पष्ट अभाव पाया गया। एकल निविदा के मामले में या तो पुनः

1882

निविदा निकालनी चाहिए थी या कार्य की प्राथमिकता को देखते हुए इस तरह के मामले में उच्च अधिकारियों से सहमति लेनी चाहिए थी। परन्तु संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि ऐसा कोई कदम मुख्य नगर अभियंता द्वारा नहीं उठाई गयी।

(5) निविदा की शर्त 01 के अनुसार अद्यतन लेबर लाईसेंस निविदा प्राप्ति की तिथि से कम से कम निविदा आमंत्रण सूचना में वर्णित कार्य समाप्ति की अवधि तक के लिए वैध होना चाहिए अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जायेगा, परन्तु चयनित संवेदक का लेबर लाईसेंस 04.10.2013 तक ही Valid था, जबकि निविदा 25.04.2013 को निविदादाता द्वारा प्राप्त की गयी थी एवं कार्य समाप्ति की अवधि 06 माह थी, अर्थात– 24.10.2013 तक के वैद्य लेबर लाईसेंसधारी को ही निविदा देनी चाहिए थी परन्तु 04.10.2013 तक के Valid लाईसेंसधारी को निविदा क्यों एवं किस आधार पर दी गयी अंकेक्षण दल को नहीं बताया गया। मेसर्स वर्किंग प्वाईंट को अवैध निविदादाता क्यों नही माना जाए। यहाँ यह कहना उचित होगा कि कार्य 27.03.2014 को खत्म हुआ। मेसर्स वर्किंग प्वाईंट को 27.03.2014 तक का लेबर लाईसेंस अद्यतन था या नहीं संचिका में पता नहीं चल सका। आरा नगर निगम द्वारा बिना जाँच किये मेसर्स वर्किंग प्वाईंट को राशि को भुगतान के लिए अनुशंसित क्यों एवं किस आधार पर किया गया।

(6) (I) पत्रांक सं0–25/अभि0/29.04.2013 एवं से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मुख्य नगर अभियंता ने चापाकल गाड़ने के कार्य को आपातकालीन (Emergency) प्रकृति का कार्य घोषित करते हुए मेसर्स वर्किंग प्वाईंट को बरसात से पहले काम समाप्त करने का आदेश निर्गत किया, जिसे संवेदक को 29.09.2013 अर्थात सितम्बर माह में प्राप्त कराया गया एवं कार्य (P/96) M.B के अनुसार अगले साल मार्च, 2014 को सम्पन्न की गई। बिहार में बरसात अमुमन अगस्त–सितम्बर तक रहता है। अगर यह आपातकालीन प्रकृति का कार्य था तो संवेदक को उपरोक्त पत्र अप्रैल–मई में उपलब्ध क्यों नहीं करवाया गया एवं कार्य को समय पर पूर्ण करने के लिए संवेदक पर दवाब बनाने के लिए कार्यालय द्वारा क्या–क्या कदम उठाए गए, संचिका के अवलोकन से पता नहीं चल सका।

(II) मुख्य नगर अभियंता के अनुसार अगर यह आपातकालीन कार्य था तो संवेदक के Time Extention के आवेदन पर क्यों विचार किया गया एवं मुख्य नगर अभियंता द्वारा स्वयं किए गए एकरारनामा के Clause-2 के आधार पर राशि की कटौती पर विचार नही करने का आदेश क्यों एवं किस आधार पर दिया गया। नगर निगम के मामले में वित्तीय अधिकार नगर आयुक्त के पास होता है, उनकी स्वीकृति एवं सहमति के बिना राशि की कटौती नहीं करना गलत एवं अनियमित है।

(7) पत्र सं0–28/अभि0/दिनांक 3.05.2013 से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि संवेदक को यह निर्देश दिया गया था कि कार्य संबंधित कनीय अभियंता की देख– रेख में किया जायेगा, परन्तु समर्पित M.B के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि Boring Jet या Dheki से किया गया है। अमुमन हर Boring में कनीय अभियंताओं द्वारा यही लिखा गया था। अर्थात कनीय अभियंताओं को यह पता नहीं चल सका

कि Boring Jet से किया गया था या Dheki से जबकि M.B Site पर ही Book किया जाता है। अर्थात कार्य को कनीय अभियंता की देख– रेख में नहीं किया गया। राशि का भुगतान करते समय उपर वर्णित पत्र में मुख्य नगर अभियंता द्वारा दिए गये निर्देश की अनदेखी की गयी।

(8) चापाकल तो Day to Day Use की चीज हैं। इसके खराब होने की संभावाना ज्यादा होती है, क्योंकि इसका उपयोग बुद्धिजीवी एवं गैर बुद्धिजीवी दोनो स्तर के लोग हमेशा करते इस परिस्थिति में इसके अधिष्ठापन के बाद खराब होने पर Reparing का Provision करने की बिन्दु पर विचार निविदा के पहले एवं बाद में नहीं किया पाया गया। अधिष्ठापन के बाद चापाकल नगर निगम की सम्पति होगी तो सम्पति के रख– रखाव करने की जिम्मेवारी नगर निगम की होनी चाहिए थी, परन्तु इसका ध्यान नहीं रखा गया।

(9) (क) चापाकल कहाँ– कहाँ गाड़ना है, स्थान का चयन निविदा के चयन के बाद लिया गया, एवं संवेदक को यह निदेर्ष दिया गया कि स्थान का चयन वार्ड पार्षद से परामर्श लेकर करें, अर्थात नगर निगम को पहले से न तो स्थान की जानकारी/सूची उपलब्ध थी, और न ही स्थान चयन नगर निगम के स्तर से पहले से किया गया था। बिना जानकारी के या बिना स्थान चयन किए इतनी बड़ी राशि का निविदा निकालना उचित प्रतीत नहीं होता है। नगर निगम के पास कोई डाटाबेश नहीं था जिससे यह पता चल सके कि निगम परिक्षेत्र में कितने चापाकल कहाँ– कहाँ उपलब्ध है। चापाकल गाड़ने का कार्य सरकार के अन्य विभिन्न एजेन्सी या विभिन्न योजनाओं के तहत किया जाता है। अतः जहाँ– जहाँ चापाकल गाड़ा गया, वहाँ कितनी– कितनी दुर पर किसी और योजना के सौजन्य से चापाकल लगे हुए थे या नहीं नगर निगम ऐसी कोई सूची दल को उपलब्ध नहीं करा सका।

(9) (ख) अनुसूचित टोले में 100 चापाकल गाड़नें का निर्णय मुख्य नगर अभियंता द्वारा लिया गया। नगर निगम के पास कोई डाटाबेस था जिससे यह पता चल सके कि आरा नगर निगम में कहाँ– कहाँ अनुसूचित टोला है।

(10) संचिका के अनुसार 97 चापाकल नगर निगम द्वारा लगाए गए, परन्तु वार्ड पार्षदों द्वारा जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया उससे यह प्रतीत होता है, कि 64 चापाकल ही लगाए गए है। दोनो में काफी अंतर है। बाकी बचे 33 चापाकल किस वार्ड में, किसके मकान के पास या किस स्थान पर लगाए गए, संचिका से पता नहीं चल सका।

(11) इसके साथ– साथ वार्ड पार्षद द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया गया है, उसमें भी स्थान स्पष्ट नहीं है, कोई Identified Point का जिक्र नहीं है। उदाहरणस्वरुप 'मेरे वार्ड में 02 चापाकल लगा, जो पानी दे रहा है, और काम से संतुष्ट हूँ।" चापाकल का अधिष्ठापन ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगो की पहुँच हो सके।

पूरे प्रकरण को देखने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि राशि को खर्च करना ही पहली प्राथमिकता थी, राशि को खर्च करने के लिए सरकार द्वारा निर्देशित सरकारी प्रक्रिया का किसी भी स्तर पर पालन नहीं किया गया। जितनी तत्परता निविदा निकालने, निविदादाता का चयन करने, तकनीकी स्वीकृति देने एवं प्रशासनिक स्वीकृति नगर आयुक्त से प्राप्त करने के लिए संचिका को आगे बढाने में दिखायी गयी, उतनी तत्परता कार्य को समय पर समाप्त करने में नहीं दिखायी गयी। इस पेयजल योजना का उद्देश्य अनुसूचित टोले में रहने वालें ज्यादा से ज्यादा लोगो को गर्मी में पानी की उपलब्धता प्रदान करने की होती थी, संभवतः इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा राशि नगर निगम को 2012 में उपलब्ध करायी गयी होगी, परन्तु चापाकल गाड़ने का कार्य, कार्य प्रारंभ होने से 11 महीने बाद अगले वर्ष 2014 में खत्म हुआ, जबकि इसे वर्ष 2013 के बरसात के पूर्व इसे पूरा करना था।

अतः जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा योजना प्रारंभ की गयी थी, उस उद्देश्य को प्राप्त करने में नगर निगम कही न कही विफल रहा, एवं आम जन को 2013 के गर्मी के मौसम में चापाकल से पानी प्राप्त नहीं हो सका अतः पुरा व्यय राशि ₹4348811/– निष्फल हुआ एवं राशि अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

**कंडिका– 5 संचार (मोबाईल) टावरों का पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क बकाया (₹25.85 लाख)**

बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाईल) टावरों एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली, 2012 दिनांक 08.10.2012 को अधिसूचित किया गया है। उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार नगर निगम में पंजीकरण शुल्क राशि ₹50,000.00 प्रति टावर एवं नवीकरण शुल्क राशि ₹15,000.00 प्रतिवर्ष निर्धारित है। नियम 6(2) के अनुसार उपर्युक्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित टावरों को उपरवर्णित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्षो के संख्या के आधार पर लिया जायेगा। नियम 6(4) के अनुसार प्रत्येक अतिरिक्त टावर पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क अतिरिक्त रूप से लगाया जायेगा। नियम 6(8) के अनुसार पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क के बिना तथा नगरपालिका के अनुमति के बगैर कोई भी संचार टावर स्थापित नहीं किया जायेगा तथा ऐसी अनुमति के बिना स्थापित सभी टावर अवैध माने जायेंगे।

कार्यालय नगर निगम, आरा के संचार (मोबाईल) टावरों से संबंधित संचिका के जाँच के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2013–14 तक 6 कम्पनियों के 34 मोबाईल टावरों के विरूद्ध कुल राशि ₹25,84,750.00 बकाया है। विवरणी इस प्रकार है–

1879

| क्र0सं0 | कम्पनी का नाम | टावरो की सं. | बकाया राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | आदित्य बिड़ला टेलीकॉम लिमिटेड | 13 | 10,86,000 |
| 2 | डिसनेट वायरलेस लिमिटेड | 03 | 2,87,500 |
| 3 | भारती इन्फाटेल लिमिटेड | 03 | 2,85,000 |
| 4 | टाटा टेल सर्विसेस | 04 | 4,36,250 |
| 5 | वायरलेस टी.टी. इंफोसर्विसेस लिमिटेड | 09 | 3,30,000 |
| 6 | टावर विजन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड | 02 | 1,60,000 |
| | कुल | 34 | 25,84,750 |

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– 3 पर)

उपर्युक्त बकाया राशि ₹25,84,750.00 की वसूली के लिए आवश्यक एवं प्रभावी कदम उठाए जाए।

**कंडिका– 6 नक्शा पारित करने में श्रम सेस की वसूली नहीं किया जाना ₹105472.14**

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के अर्द्ध सरकारी पत्र सं.– वी0सी0 डब्लू0सी0–01/2008 द्वारा राज्य सरकार के सभी कार्य विभागों को यह सूचित किया गया था कि बिहार राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए "बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" का गठन दिनांक–18.02.08 को किया जा चुका है। साथ ही सभी कार्य विभागों से यह अनुरोध किया गया था कि वे वित्तीय वर्ष 2007–08 से उनके द्वारा लिए गये योजनाओं के कुल लागत का 1 प्रतिषत सेस श्रम संसाधन विभाग के विकास भवन में गठित "बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" में जमा करें।

इसके अतिरिक्त वैसे रिहायसी मकान जो निजी उपयोग के लिए बनाये गये थे और जिसका लागत 10 लाख रूपये से अधिक था उनसे एक प्रतिषत राशि नक्शा पारित करने के समय ही वसूल कर नगर निगम अथवा नगरपालिका में जमा करना था।

साथ ही यह भी प्रावधान किया गया था कि निर्धारित समय पर सेस जमा नहीं करने पर कुल सेस का 2 प्रतिशत प्रतिमाह सूद के देनदार होंगे। साथ ही कुल शेष राशि के बराबर अर्थात एक प्रतिशत + एक प्रतिशत = कुल दो प्रतिशत सेस राशि उनसे वसूली जाएगी। प्राधिकारी जिनके द्वारा सेस जमा किया जाएगा जमा किए जाने वाले कुल उपकर राशि का एक प्रतिशत प्रशासनिक एवं अन्य खर्च हेतु व्यय कर सकेंगे।

नगर निगम कार्यालय द्वारा यह बतलाया गया कि ऐसी कोई राशि वास्तुविदों द्वारा वसुल कर नगर निगम कार्यालय को नहीं दी गयी है। जबकि श्रम संसाधन विभाग द्वारा इसके व्यापक प्रचार– प्रसार के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से भी यह सूचना प्रकाशित करायी गयी थी।

भारत सरकार के केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं मानक एकक) निर्माण भवन, नई दिल्ली के पत्रांक सं0– 62/एस ई (टी ए एस) प्लिन्थ एरिया रेट्स/ 122 दिनांक 12.12.2007 के

2/18

अनुसार दिनांक 01.10.2007 से नई कुरसी क्षेत्र (आधार 100 पर) दर लागू था। जिसके अनुसार प्रति फ्लोर 2.90 मी0 ऊँचाई वाले आवासीय/गैर आवासीय छः तल्ले तक के भवनों के निर्माण का लागत ₹9000 प्रति वर्गमीटर था। इस आधार दर पर समयानुसार मूल्य सूचकांक की भी स्वीकृति दी गयी थी जिसका विवरण नीचे दिया गया है–

| पत्रांक/दिनांक | स्थल का नाम | लागू होने की तिथि | मूल्य सूचकांक |
|---|---|---|---|
| No.19(2)/CE(EZ-II)/2008/ 806 Dated 25.6.08 | पटना | 04/2008 | 122 |
| No.19(2)/CE(EZ-II)/2009/2010 Dated 21.12.09 | पटना | 12/2009 | 147 |
| No.19(2)/CE(EZ-II)/2011/73 Dated 12.1.11 | पटना | 12/2010 | 155 |
| सं 19(2)/मु0अ0(पू.अं.–II)/2011/4648–71 दिनांक 28.12.11 | पटना | 12/2011 | 169 |
| सं 19(2)/मु0अ0(पू.अं.–II)/2013/ 189–203 दिनांक 09.01.13 | पटना | 01/2013 | 179 |

वर्ष 2007 में लागू प्रति वर्गमीटर कुर्सी दर ₹9000 के आधार दर पर 122 प्रतिशत मूल्य सूचकांक को जोड़कर वर्ष 2009 एवं 147 प्रतिशत मूल्य सूचकांक को जोड़कर वर्ष अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक की अवधि में नगर निगम, आरा के लिए वास्तुविदों द्वारा पारित कुल नक्शों के लागत मूल्य की गणना आरा नगर निगम में संधारित 2013–14 के भवन निमार्ण पंजी में दर्शाए गए आकड़ों पर मूलत: आधारित है। इसके आधार पर जिन भवनों का लागत मूल्य ₹10 लाख से अधिक था के गणना के आधार पर पाया गया कि नगर निगम द्वारा न्यूनतम कुल ₹10547213.75 के श्रम सेस के रूप में वसुल करना था। जिसका विवरण नीचे दिया गया है–

| वर्ष | वास्तुविदों द्वारा स्वीकृत नक्शों की सं0 | 10 लाख रू0 से अधिक लागत मूल्य के भवनों की सं0 | वसूल की जाने वाली श्रम सेस की राशि | वसूल की गयी श्रम सेस की राशि | अन्तर (4–5) | नगर निगम कार्यालय को सेस वसूली में हुयी प्रशासनिक हानि (कुल सेस राशि का 1%) | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2013–14 | 1188 | 499 | 10547213.75 | शुन्य | 10547213.75 | 105472.13 | |

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– 4 पर संलग्न)

श्रम सेस को वसूलने का आदेश सरकारी के स्तर पर 2007 से ही कार्यान्वित है। अतः नगर आयुक्त को यह सुझाव दिया जाता है कि इस दिशा में प्रभावकारी कदम उठाए जाए एवं फलाफल से महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाए।

**कंडिका–7 नक्शा स्वीकृति में डेवलपमेन्ट परमिट फीस नहीं लेने के कारण ₹17.82 लाख की हानि**

बिल्डिंग बाई लॉ के नियम 4.1 के प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति संगठन सहित, केन्द्र/राज्य सरकारों के विभाग या स्थानीय निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को किसी भवन का निर्माण, पुनर्निमाण अथवा परिवर्तन करने या गिराने अथवा भूमि के किसी खण्ड का विकास करने से पूर्व प्राधिकार से पृथक भवन निर्माण अथवा विकास करने की अनुमति लेना होगा। इसके अतिरिक्त, मोडिफाईड बिल्डिंग बाई–लॉ के बाई–लॉ सं0 6.1 में यह प्रावधान किया गया है कि नक्शा का कोई भी आवेदन तब तक वैध नहीं होगा जब तक की आवेदनकर्ता बाई–लॉ सं0 6.2 में उल्लेखित निम्न डेवलपमेन्ट परमिट फीस जमा नहीं कर देता है तथा आवेदन के साथ रसीद का अभिप्रमाणित कॉपी संलग्न नहीं करता है–

| **क्षेत्रफल** | **परमिट फीस** |
|---|---|
| एक हेक्टेयर तक | ₹1500/– |
| एक हेक्टेयर एवं उससे उपर तथा 2.5 हेक्टेयर तक | ₹3000/– |
| 2.5 हेक्टेयर से उपर | ₹5000/– |

वाणिज्यिक भवनों के लिए उपरोक्त का दोगुना शुल्क लेना है।

2. राज्य सरकार ने जून 2009 में एक अधिसूचना निकाला कि 15 जूलाई 2009 के बाद सभी भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति वास्तुविदों द्वारा दिया जाएगा तथा 'विकास परमिट शुल्क', भवन निर्माण परमिट शुल्क एवं अन्य शुल्क जो स्थानीय शहरी निकायों द्वारा लगाया जाएगा की वसूली वास्तुविदों द्वारा की जाएगी तथा भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति के लिए प्रतिवेदनों के साथ प्राप्त राशि कार्यालय कोष में उनके द्वारा जमा की जाएगी।

लेकिन आरा नगर निगम कार्यालय द्वारा अप्रैल 2013 से मार्च 2014 की अवधि में स्वीकृत नक्शों से संबधित रजिस्टर की जॉच में पाया गया कि किसी भी नक्शा की स्वीकृति के लिए नगर निगम द्वारा डेवलपमेन्ट परमिट फीस आवेदनकर्त्ता से नहीं लिया गया था। नक्शा प्राप्ति पंजी के कम सं 134 से आगे में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि स्वीकृत नक्शा आवासीय था या वाणिज्यिक। इसके कारण अंकेक्षण में डेवलपमेन्ट परमिट फीस मद में प्राप्त होने वाली वास्तविक राशि की गणना नहीं की जा

2576

सकी। इस अवधि में कुल 1188 नक्शे निगम कार्यालय एवं वास्तुविद द्वारा पारित किये गये थे, लेकिन न तो निगम कार्यालय द्वारा तथा न ही वास्तुविदों द्वारा डेवलपमेन्ट परमिट फीस आवेदनकर्त्ता से लिया गया था। न्यूनतम प्रति नक्शा ₹1500 के गणना के आधार पर अप्रैल 2013 से मार्च 2014 की अवधि में नगर निगम को स्वीकृत नक्शों पर कार्यालय को न्यूनतम ₹1782000/– की हानि हुयी।

कार्यालय द्वारा जवाब में यह बताया गया कि निबंधित वास्तुविद द्वारा बताया गया कि ऐसी व्यवस्था किसी निकाय में नहीं है। यदि भविष्य में इस तरह कोई आदेश प्राप्त होता है तो अनुपालन की जायेगी जहाँ तक Building Permit Fee आदि का प्रश्न है तो उनके द्वारा बताया गया कि यह Fee cooperative land के लिए हैं।

बिल्डिंग बाई लॉ के नियम 4.1 के प्रावधानो को नहीं लागु करने से हुई हानि राशि ₹1782000.00 संबंधित एवं जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूलनीय है।

**कंडिका– 8 सुरक्षित जमा राशि से कम दर पर सैरात (बड़ा जानवर किलखाना/मार्केट मोती टोला के पास) की बन्दोबस्ती (₹8,950/–)**

नगर निगम, आरा के सैरातों के बन्दोबस्ती से संबंधित संचिका एवं पंजी के जाँच के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष–2013–14 में सैरात (बड़ा जानवर किलखाना मार्केट मोती टोला के पास) बन्दोबस्ती पूर्व वर्ष 2012–13 से कम दर पर किया गया। विवरणी इस प्रकार है–

| क्र0सं0 | 2012–13 में बन्दोबस्ती की राशि | 2013–14 में बन्दोबस्ती की राशि | अन्तर | बन्दोबस्तधारी का नाम (2012–13, 13–14) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42500.00 | 33550.00 | 8950.00 | मो0 शाहजाद आलम |

संचिका के अनुसार दिनांक 07.03.2013 को बंदोबस्ती की सूचना निकाली गई थी जिसके क्रम सं0–9 पर बड़ा जानवर किलखाना के बंदोबस्ती हेतु सुरक्षित जमा की राशि ₹42,500.00 निर्धारित की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2013–14 में ₹8950/– (42500– 33,500) कम पर बंदोबस्ती की गयी जिस कारण नगर निगम को ₹8950.00 की हानि हुई। अतः ₹8950/– संबधित व्यक्तियों से वसूलनीय है।

**कंडिका–9 दैनिक मजदूरी पर अप्राधिकृत व्यय ₹6.44 लाख**

बिहार सरकार के पत्र सं0–4 न से 01.1012/87–1231/न.वि.वि. दिनांक 06.05.1992 एवं अन्य विभिन्न पत्रों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में दैनिक मजदूरी पर रोक लगाई गई थी। परन्तु लेखापरीक्षा में उपलब्ध रोकड़ बही के अवलोकन से यह पता चला कि नगर निगम आरा में वर्ष–2013–14 के दौरान ₹644946.00 दैनिक मजदूरी पर व्यय किया गया जो सरकार के निर्देशों के विरूद्ध एवं अप्राधिकृत था। विवरणी इस प्रकार है–